न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

चुनाव याचिका सं०-01/2023

कु० विजय पुष्पम सिंह--- बनाम--- यूसुफ अली आदि

दिनांक-12.05.2025

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

पत्रावली आज प्रार्थना-पत्र कागज सं०-ग-41 की सुनवाई/निस्तारण तथा जिरह डी०डब्लू०-1 हेतु नियत है। प्रार्थना-पत्र कागज सं०-ग-41 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

प्रार्थी/विपक्षी सं०-1 यूसुफ अली की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका (Adjournment) इस आशय का दिया गया कि, "गवाह बीमार है, अवसर दिया जाये। जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने घोर विरोध है, निकट की तिथि अपेक्षित है," का पृष्ठांकन किया गया।

सुना, प्रार्थना-पत्र मौका 200/- रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह डी०डब्लू०-1 दिनांक-20.05.2025 को पेश हो।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र कागज सं०-ग-41

कागज सं०-ग-41 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थना-पत्र कागज सं०-ग-41 प्रार्थी/विपक्षी सं०-1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, याचिनी द्वारा प्रस्तुत याचिका उपरोक्त में मतदाता सूची में गड़बड़ी होने का प्रश्न उठाया है और उक्त आधार पर अपनी याचिका प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी/विपक्षी सं०-1 द्वारा प्रस्तुत अपने लिखित कथन की दफा-36 में स्पष्ट कथन किया गया है कि मतदाता सूची में हुयी गड़बडियों को चुनाव याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता है और न तो मतदाता सूची में गड़बड़ी होने के आधार पर चुनाव याचिका विचारण हेतु प्रस्तुत ही की जा सकती है जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-19(2)(क) से बाधित है एवं चलने योग्य नहीं है, सम्बन्धी आधार लिया गया है। किन्तु इस सम्बन्ध में वाद बिन्दु को निर्मित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः याचना है कि उक्त सम्बन्ध में अतिरिक्त वाद बिन्दु निर्मित किये जाने का आदेश दिया जावे।

उक्त प्रार्थना-पत्र के हासिये पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि, "पिछली पेशी पर भी

विपक्षी द्वारा साक्ष्य हेतु मौका लिया गया था और आज समय करीब 3.35 बजे उक्त दरख्वास्त दी जा रही है। उक्त दरख्वास्त महेज मुकदमें को लिंगरआन करने की गाज से दी जा रही है। अतएव विरोध है।"

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/विपक्षी सं०-1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, लिखित कथन के पैरा-36 में उनके द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि मतदाता सूची में हुई गड़बड़िया को चुनाव याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता, को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-19(2)(क) से बाधित है, चलने योग्य नहीं है।

उपरोत्त तर्क के खण्डन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि, मामले में वाद बिन्दु विरचन के पश्चात याचिकाकर्ता का साक्ष्य अंकित विरचित किया जा चुका है। विगत कई तिथियों से पत्रावली विपक्षीगण की साक्ष्य हेतु नियत है परन्तु विपक्षीगण द्वारा किसी न किसी वजह से समय की मांग की गयी है। आज भी स्थगन प्रार्थना-पत्र के माध्यम से समय चाहा गया है, जो इस न्यायालय के द्वारा हर्जे पर स्वीकार किया जा चुका है।

उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, पक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक-06.09.2024 को 06 वाद बिन्दु विरचित किये गये। जिनमें प्रस्तावित अतिरिक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा याचना नहीं की गयी थी। लिखित कथन के पैरा-36 में स्पष्ट कथन किया गया है कि, मतदाता सूची में हुयी गड़बडियों को चुनाव याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता है और न तो मतदाता सूची में गड़बड़ी होने के आधार पर चुनाव याचिका विचारण हेतु प्रस्तुत ही की जा सकती है जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-19(2)(क) से बाधित है एवं चलने योग्य नहीं है, इस सम्बन्ध में वाद बिन्दु को निर्मित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस स्तर पर अतिरिक्त वाद बिन्दु की याचना की गयी है तथा प्रस्तावित अतिरिक्त वाद बिन्दु न्यायहित में विरचित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/विपक्षी सं०-1 का प्रार्थना-पत्र कागज सं०-ग-41 स्वीकार किया जाता है, आपत्ति निस्तारित की जाती है।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

चुनाव याचिका सं०-01/2023

कु० विजय पुष्पम सिंह--- बनाम--- यूसुफ अली आदि

दिनांक-12.05.2025

आदेश दिनांक-12.05.2025 के अनुक्रम में अतिरिक्त वाद बिन्दु निम्न प्रकार विरचित किया जाता है-

अतिरिक्त वाद बिन्दु-

7. क्या याचिका उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-19(2)(क) से बाधित है?

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।